/

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

तारीख रजू :–14.07.2017

सिविल प्रकरण संख्याः– 41/2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

...........आवेदक

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद गर्ग पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी कबूतर चौक हरसहाय जी कटला शहर, सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक) मैसर्स प्रिया एन्टरप्राईजेज पुलिस चौकी के पास शहर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर।
2. बाबूलाल गुप्ता पुत्र श्री छीतर मल गुप्ता निवासी 76 पंचवटी अलवर मैसर्स सीबा फूड प्रोडक्ट्स 176 दीनानाथ जी की गली चांदपोल बाजार जयपुर।
3. मैसर्स अलवर मैसर्स सीबा फूड प्रोडक्ट्स 176 दीनानाथ जी की गली चांदपोल बाजार जयपुर। रजिस्टर्ड ऑफिस 76 पंचवटी अलवर।

...........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

दिनांक 28/11/22

निर्णयः–

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 23.10.2016 को समय 02.00 पी.एम. पर मैसर्स– प्रिया एन्टरप्राईजेज पुलिस चौकी के पास शहर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर पहुंचा वहा पर राजेन्द्र प्रसाद गर्ग पुत्र श्री रामस्वरूप जाति गर्ग निवासी कबूतर चौक हरसहाय जी कटला शहर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक) उपस्थित थे, को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति पेश की गई। तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया। दुकान में विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Powder (CIBA)** 50 ग्राम के लगभग 90 पैकिट्स दुकान की रेक में रखे हुए थे, के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5a की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Powder (CIBA)** 50 ग्राम के 40 पैकिट्स नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 320/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर एवं उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Powder (CIBA)** 50 ग्राम के 40 पैकिट्स को 10–10 पैकिट्स के चार भागों में बांटकर मूल ही लेकर प्रत्येक को प्लास्टिक के जारो में रखकर अच्छी तरह से बंद किया। आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:58:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक **एच–1048** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता राजेन्द्र प्रसाद गर्ग पुत्र श्री रामस्वरूप ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय हाजा द्वारा खाद्य विश्लेषक, प्रयोगशाला कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई । दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2016/89 दिनांक 12.01.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 339/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2016/484 दिनांक 28.12.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Powder (CIBA)** 50 ग्राम मिसब्राण्ड (Mis-Branded) पाया गया। उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तो ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Powder (CIBA)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित हुए।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Powder (CIBA)** 50 ग्राम मिसब्राण्ड प्रकृति खाद्य पदार्थ का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण द्वारा बहस में तर्क दिया है न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कथन जिस प्रकार से वर्णित है कि अभियुक्त द्वारा कोई मिसब्राण्ड प्रकृति **Lal Mirch Powder (CIBA)** ब्राण्ड का विक्रय किया हो, गलत है तथा अस्वीकार है। अभियुक्तगण के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(Zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 [illegible] 2.2.2(b) [illegible] के उल्लघंन किये जाने का बयान किया गया है परन्तु उत्तर देने वाले अभियुक्त ने निवेदन किया कि प्रतिवादीगण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(Zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट [illegible] व एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(b) में कोई भी अपराध नहीं बनती है क्योंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(b) का सारभूत अनुपालन किया गया है। हमारा एकल संघटक होने के कारण विनियम 2.2.2(b) लागू नहीं होता है। हमारे उत्पाद में किसी भी प्रकार से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:58:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है। उक्त धारा का किसी भी प्रकार से उल्लघंन नहीं किया गया है। अतः न्याय निर्णयन आवेदन पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 339/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2016/484 दिनांक 28.12.2016 के अनुसार विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(Zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(b) की धारा का उल्लघंन का दोषी माना गया है जबकि अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता द्वारा बहस में तर्क दिया कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(b) का सारवान अनुपालन किया है एवं वांछित जानकारी लेवल पर मुद्रित की गई थी इसलिए उत्पाद के उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि कारित नहीं की गई है। हमारा एकल संघटक होने के कारण विनियम 2.2.2(b) लागू नहीं होता है। हमारे उत्पाद में किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम 2011 के विनियम 2.2.2(b) के उल्लंघन के आरोप में मेरी राय में संदेह का लाभ अप्रार्थीगण को दिया जाना उचित होगा क्योंकि जांच रिपोर्ट में खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना मिर्च पाउडर (मामा ब्राण्ड) में Ingredients given but not as per regulations contravention Regulation No. 2.2.2(b) of Food Sefety & Standrds (packaging and labeling) Regulation 2011 दर्शाया गया है परन्तु रिपोर्ट में Ingredients का उल्लेख (वर्णित) नहीं किया गया है। जबकि मिर्च पाउडर में प्रथम Ingredient मिर्च तथा दूसरा Ingredient खाद्य तेल होता है। किन्तु खाद्य विश्लेषक द्वारा Admixture of Edbile Oil (Name) का रिपोर्ट में कहीं भी विवरण नहीं लिखा है। अतः रिपोर्ट अनुसार मिर्च पाउडर एकल संघटक प्रतीत होता है। इस कारण उपरोक्त प्रस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए, उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग और लेवलिंग विनियम के विनियम 2.2.2(b) के अन्तर्गत कोई अपराध मेरी राय में कारित नहीं किया है।

उक्त विवेचन के आधार खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 339/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2016/484 दिनांक 28.12.2016 के अनुसार अभियुक्त के प्रतिष्ठान पर से लिया गया सेम्पल **Lal Mirch Powder (CIBA)** मेरी राय में न तो मिस ब्राण्ड पाया गया है और ना हीं सब स्टेण्डर्ड। अतः मेरी राय में प्रकरण निरस्त योग्य पाया जाता है।

अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/11/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:58:23 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर